'बालकबुद्धि सवार हो जाये तो किसी के भी गले पड़ जाती है, किसी बात-व्यवहार का कोई ठिकाना नहीं रहता'

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नाम लिये बिना राहुल गांधी के भाषण को "बालकबुद्धि की बचकाना हरकत" करार दिया है

- मोदी ने कहा कि, कल सदन में जो कुछ भी देखा वो एक बालकबुद्धि का विलाप चल रहा था। बालकबुद्धि ने खुद को पीड़ित दिखा कर सहानुभूति बटोरने की खूब कोशिश की है।
- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि, कांग्रेस का पूरा ईकोसिस्टम राहुल गांधी को बहलाने का प्रयास में जुटा है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी आप फेल हुये हो आपके सौ में से 99 नहीं 543 में से 99 आये हैं।

नयी दिल्ली, 2 जुलाई (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सोमवार को सदन में भाषण को 'बालकबुद्धि की बचकाना हरकत' करार दिया है और कहा है कि कांग्रेस "झूठ को राजनीतिक हथियार' बना कर देश को अराजकता एवं गंभीर संकट की ओर धकेल रही है जिसे रोकने के लिए कठोर कार्रवाई की जरूरत है।

मोदी ने यहां सदन में राष्ट्रपति अभिभाषण पर 18 घंटे तक चली चर्चा का लंबा जवाब देते हुए यह बात कही। मोदी ने कहा कि, कल सदन में जो कुछ भी देखा वो एक बालकबुद्धि का विलाप चल रहा था। बालकबुद्धि ने खुद को पीड़ित दिखा कर सहानुभूति बटोरने की खूब कोशिश की है लेकिन अपने अपराध और अपने दोष के बारे में कोई बात नहीं की। प्रधानमंत्री ने एक छोटे बच्चे की कहानियां सुना कर कहा कि कांग्रेस का ईकोसिस्टम बालक का मन बहलाने का काम कर रहा है।

उन्होंने कटाक्षपूर्ण लहजे में कहा, बालक बुद्धि में ना तो बोलने का कोई ठिकाना, ना ही कोई व्यवहार का ठिकाना है। जब बालकबुद्धि पूरी तरह से सवार हो जाये तो किसी के भी गले पड़ जाती है। बालक बुद्धि सीमा पार कर जाये तो किसी को आंख भी मारती है। उन्होंने कहा कि उनकी सच्चाई देश समझ चुका है। देश कह रहा है कि इनसे ना हो पायेगा।

प्रधानमंत्री ने गोस्वामी तुलसीदास को उद्धृत करते हुए कहा, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबैना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठ को राजनीतिक हथियार बना लिया है। कांग्रेस के मुंह में झूठ ऐसे लग गया है जैसे किसी आदमखोर जानवर के दांत में इन्सान का खून।

मोदी ने कहा कि ऐसे समय जब देश विकास के रास्ते पर है, देश के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए सबको एकजुट होकर समृद्धि का नया सफर शुरू करना है, उस समय यह हमारा दुर्भाग्य है कि देश में छह दशक तक राज करने वाली पार्टी अराजकता फैलाने में लगी है। उत्तर में दक्षिण के खिलाफ, पूर्व में पश्चिम के खिलाफ, भाषा, धर्म, जाति के आधार पर बांटने के बात कर रही है। एक जाति को दूसरी से लड़वाने के लिए नये नैरेटिव नयी अफवाहें फैलायी जा रहीं हैं। देश के एक हिस्से के लोगों को हीन बताने के कुत्सित प्रयास हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव में जो वादे किये हैं और कांग्रेस शासित राज्यों में जिस प्रकार के फैसले किये जा रहे हैं, वह देश को आर्थिक अराजकता में घसीटने का काम किया जा रहा है। यदि चुनाव में इनके मन का परिणाम नहीं आता तो देश में आग लगाने की तैयारी थी। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर उंगली उठाना, सीएए को लेकर अराजकता फैलाना, पूरे ईकोसिस्टम इसके लिए काम कर रहा है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में माताओं बहनों को झूठ बोला। ईवीएम को लेकर, संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, राफेल को लेकर, एचएएल को लेकर एलआईसी को लेकर बैंकों को लेकर और तो और इनका हौसला इतना बढ़ गया कि कर्मचारियों को भड़काने का प्रयास किया और कल सदन को भी गुमराह करने की कोशिश की। किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, यह झूठ बोला, संविधान की गरिमा से खिलवाड़ किया।

मोदी ने कहा कि अनेक बार जीत चुके अनुभवी नेता को संविधान एवं सदन की गरिमा से खिलवाड़ करना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि वे अराजकता और झूठ के सहारे देश को गंभीर संकट की ओर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन हरकतों को बालकबुद्धि मान कर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया मेवाड़ दौरे पर

राजसमंद/जयपुर, 2 जुलाई। राजस्थान में भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने नाथद्वारा में कार्यकर्ताओं के साथ श्रीनाथजी के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली एवं उन्नित की कामना की। डॉ. पूनिया ने कुंभलगढ़ से विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ की

- डॉ. पूनिया नाथद्वारा भी गए और श्रीनाथ जी के दर्शन किए
- डॉ. पूनिया ने कुंभलगढ़ विधायक सुरेन्द्र सिंह राठौड़ की दिवंगत माता जी को श्रृद्धांजलि अर्पित की।

माताजी पारस कँवर के निधन पर आमेट में परिजनों को ढांढस बंधाया तथा माताजी को श्रद्धांजलि दी। पाली के मारवाड़ जंक्शन से पूर्व विधायक खुशवीर सिंह की भाभीजी गजेंद्र कंवर के निधन पर जोजावर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर परिवारजनों को ढाँढस बंधाया एवं दुख की घड़ी में ईश्वर से सम्बल प्रदान करने की कामना की।

दिल्ली बार काउन्सिल ने नए आपराधिक कानूनों को वापस लेने का अनुरोध किया

नयी दिल्ली, 2 जुलाई (वार्ता)। दिल्ली बार कांउसिल ने एक जुलाई से लागू तीन नए आपराधिक कानूनों को वापस लेने का अनुरोध मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से किया।

दिल्ली बार कांउसिल के उपाध्यक्ष संजीव नसियार ने कहा कि नए कानून लागू होने के समय पूर्ववर्ती सरकार का कार्यकाल समाप्त हो चुका था।

- दिल्ली बार काउन्सिल के उपाध्यक्ष संजीव नसियार ने कहा कि, नए कानून लागू होने के समय पिछली सरकार का कार्यकाल समाप्त हो चुका था।
- बार काउन्सिल ने उदाहरण देते हुये कहा है कि, नये कानूनों में " धारा 187(3) के तहत पुलिस हिरासत की अवधि को 15 दिनों से बढ़ाकर 60/90 दिन किया जाना एक प्रकार से अत्याचारी और दमनकारी है।"

नसियार ने देते हुए कहा, "संवैधानिक औचित्य के रूप में इन कानूनों को नई निर्वाचित संस्थाओं की मंजूरी और अनुमोदन के बिना बदली हुई परिस्थितियों में लोगों पर नहीं थोपा जा सकता।इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये संशोधन संवैधानिक सिद्धांतों और उच्चतम न्यायालय के फैसले की पूरी तरह से अवहेलना करते हैं।"

उन्होंने कहा, " धारा 187(3) के तहत पुलिस हिरासत की अवधि को 15 दिनों से बढ़ाकर 60/90 दिन करने को कम से कम कहने के लिए तो अत्याचारी और दमनकारी है।"

उन्होंने कहा कि नए कानूनों के तहत अदालत की अनुमति के बिना हथकड़ी लगाने की शक्ति जनता के बीच राज्य (सरकार) के आतंक का संकेत देती है। इसलिए इन कानूनों को खत्म कर देना चाहिए। नसियार ने कहा कि अदालत की बिना अनुमति हथकड़ी लगाने की शक्ति न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के फैसले के खिलाफ है। शीर्ष अदालत ने एकांत कारावास को मानवाधिकारों के लिए अस्थिर माना था।

राहुल ने ओम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने आगे यह भी कहा कि उनकी टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटाना संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।

अपने पत्र में गांधी ने प्रक्रिया से टिप्पणी हटाने के नियम में दोहरे मापदंड प्रयोग करने की तरफ आसन का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के भाषण का उल्लेख किया जिसमें अनेक आरोप लगाए गए थे उसमें से सिर्फ एक शब्द हटाया गया है।

ससम्मान अनुरोध है कि "यह चुनिंदा निरस्तीकरण तर्क विरूद्ध है "उन्होंने जोर देकर कहा कि संसदीय भाषणों के कार्य में पक्षपात तरीके अपनाना तर्क विरूद्ध है।

उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ने अनुरोध किया कि वे सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटाई गई टिप्पणियों को पुन: बहाल

करें। यह बात उन्होंने सांसदों के अभिव्यक्ति के अधिकारों को बरकरार रखने व निष्पक्षता की जरूरत पर जोर देते हुए पत्र में लिखी।

पिछले फरवरी 2023 में भी अध्यक्ष बिड़ला ने लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण का एक बड़ा भाग इसी प्रकार कार्यवाही से काट दिया था।

एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त प्लेन के पहिये में लगी आग

नई दिल्ली, 2 जुलाई। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार रात को म्यूनिख से आए लुफ्थांसा एयरलाइन के ए-380 विमान के एक पहिये में उतरते समय अचानक आग लग गई। सूत्रों ने बताया कि लैंडिंग के वक्त विमान में करीब 490 यात्री सवार थे। हालांकि विमान हवाई अड्डे पर नियंत्रित तरीके से उतरने में सफल रहा और सभी यात्री सुरक्षित रूप से बाहर आने में सफल रहे।

- लैंडिंग के वक्त प्लेन में 490 यात्री सवार थे, हालांकि प्लेन नियंत्रित तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने में सफल रहा।

सूत्रों ने बताया कि उड़ान संख्या एल.एच-762 वाला विमान इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया। सूत्रों के मुताबिक, चूंकि विमान की जांच की जानी थी और कलपुर्जे तुरंत उपलब्ध नहीं होने के कारण विमान की म्यूनिख की वापसी वाली उड़ान रद्द कर दी गई।

विमानन कंपनी के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा, उड़ान संख्या एल.एच-762 दिल्ली के एयरपोर्ट पर सुरक्षित तरीके से उतर गई। नियंत्रित तरीके से एयरपोर्ट पर उतरने के बाद जांच की आवश्यकता और स्पेयर पाट्र्स की अनुपलब्धता के कारण विमान को कुछ समय के लिए आगे की उड़ान के लिये "नोट अवेलेबल" की श्रेणी में रखा गया है।

सूत्रों ने बताया कि विमान के उतरते समय एक पहिये में आग की सूचना मिली थी। सूत्रों के मुताबिक, घटना के कारण वापसी की उड़ान संख्या एल.एच-763 रद्द कर दी गई, जबकि यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी कर दिये गए थे।

कांस्टेबल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याचिकाकर्ता सहित अन्य कॉन्स्टेबलों के खिलाफ राधेश्याम दर्जी की हिरासत में मौत का मामला दर्ज हुआ था। निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील गई। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल, 2016 को याचिकाकर्ता को बरी कर दिया। इससे पहले बिना बताए ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने के आरोप में झालावाड़ एसपी ने अक्टूबर 2000 में याचिकाकर्ता कॉन्स्टेबल को बर्खास्त कर दिया और बाद में उप गृह सचिव ने भी याचिकाकर्ता की अपील खारिज कर दी। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को न तो कारण बताओ नोटिस दिया गया और न विभागीय चार्जशीट ही दी गई। वहीं ठीक ऐसे ही एक अन्य मामले में निचली अदालत से बरी हुए तेज सिंह को पूर्व में पुलिस सेवा में ही बहाल किया जा चुका है। याचिका में कोर्ट के इस फैसले का हवाला देते हुये ही कॉन्स्टेबल को वापस सेवा में लिये जाने की अपील की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को पुन: सेवा में लेने के आदेश देते हुए उसे समस्त परिलाभ देने के लिए कहा है।

'सेबी निवेशकों की रक्षा करने के बजाय धोखेबाजों को बचाने की ज्यादा कोशिश कर रही है'

अमेरिकी इन्वैस्टमैंट रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने कहा है कि, हमारी कंपनी ने अडानी ग्रुप पर खुलासे किये थे लेकिन सेबी ने उस पर एक्शन लेने की बजाय उल्टा हमें ही नोटिस भेज दिया है

नई दिल्ली, 2 जुलाई। सेबी ने अडानी मामले में अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग को नोटिस भेजा था, जिसके जवाब में हिंडनबर्ग ने कहा है कि सेबी निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने की जगह धोखेबाजों को बचाने की ज्यादा कोशिश कर रही है। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की वेबसाइट पर छपे एक लेख में दावा किया गया है कि कंपनी ने जनवरी 2023 में अडानी समूह को लेकर जो खुलासे किए थे, उनके जवाब में भारत में शेयर बाजार की नियामक संस्था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने उसे ही एक नोटिस भेज दिया है. हिंडनबर्ग के मुताबिक, सेबी ने 27 जून 2024 को ईमेल के जरिए उसे 39;कारण-बताओ39; नोटिस भेजा, जिसमें नियामक ने हिंडनबर्ग पर भारतीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। क्या हैं सेबी के आरोप नोटिस के मुताबिक, सेबी का आरोप है कि हिंडेनबर्ग और उसके एकमात्र मालिक नेथन एंडरसन ने अडानी समूह के खिलाफ अपनी रिपोर्ट जारी कर जानबूझ कर समूह का नुकसान कराया और अपने एक क्लायंट मार्क किंग्डन और उनकी कंपनी का मुनाफा करवाया। आरोप यह भी है कि खुद हिंडनबर्ग ने भी इस मुनाफे में से 25 प्रतिशत हिस्सा लिया। सेबी की जांच के मुताबिक, हिंडनबर्ग ने अडानी पर अपनी रिपोर्ट जारी करने से पहले किंग्डन को दिखाई, जिसके बाद किंग्डन ने अडानी के शेयरों में शॉर्ट-सेलिंग की तैयारी कर ली। रिपोर्ट जारी होने के बाद शॉर्ट-सेलिंग हुई और शेयर का मूल्य 59 प्रतिशत गिर गया।

क्या था अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट में रिपोर्ट ऐसे समय पर जारी की गई थी, जब अडानी समूह एक फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) के बीच में था. बाद में समूह को एफपीओ वापस लेना पड़ा था. सेबी के नोटिस के मुताबिक, रिपोर्ट छपने से कुछ ही दिन पहले 39;के. इंडिया अपॉरच्यूनिटीज फंड लिमिटेड - क्लास एफ39; नाम की एक विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कंपनी (एफपीआई) ने भारत में ट्रेडिंग के लिए खाता खोला और अडानी के शेयरों में ट्रेडिंग शुरू की। एक भारतीय कंपनी की भी है भूमिका फिर इसी एफपीआई ने रिपोर्ट छपने के बाद अपने सारे शेयर बेच दिए और 183.24 करोड़ का मुनाफा कमाया।

सेबी ने अपने नोटिस में इस एफपीआई का पूरा नाम नहीं बताया है, लेकिन हिंडनबर्ग ने अपने जवाब में बताया कि यह कोटक बैंक का एफपीआई था जिसका किंग्डन ने अडानी के खिलाफ दांव लगाने के लिए इस्तेमाल किया। सेबी ने हिंडनबर्ग को 21 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। कारण-बताओ नोटिस जारी करने के बाद अगर सेबी आरोपी को दोषी पाता है, तो उसपर जुर्माना लगा सकता है और भारतीय शेयर बाजार में भाग लेने से प्रतिबंधित कर सकता है। हिंडनबर्ग ने अपनी वेबसाइट पर छपे लेख में सेबी के सभी आरोपों से इनकार किया है और सेबी पर ही सवाल उठाए हैं. कंपनी ने कहा है कि उसने पहले ही बताया था कि वह अडानी के शेयरों में शॉर्ट-सेलिंग कर रही है।

धार्मिक आयोजन में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मालूम था कि इस स्थान पर इतनी बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हो रहे हैं तो उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किये। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना के लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि हाथरस जिले में हुई इस भगदड़ की दुखांतिका में बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। आगरा में एक बौद्ध भीम कथा के दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई। ये अति दुर्भाग्यपूर्ण व दु:खद घटनाएं हैं। सरकार को इन घटनाओं की जांच करनी चाहिए और उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि वे यह जानना चाहते हैं कि राज्य प्रशासन इस प्रकार की आपात परिस्थिति के लिए तैयार क्यों नहीं था? उन्होंने यह भी कहा कि इस बारे में सूचित किया गया है कि अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स व उचित सुविधाएं घायलों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। हम मृतकों के लिए न्याय की मांग करते हैं।

दुर्घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। अन्य जिलों से भी डॉक्टर बुलाए गए हैं। दवा, ग्लूकोज का स्टाक मंगाया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार हाथरस के सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव फुलराई में भोले बाबा का प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान उम्मीद से ज्यादा भीड़ आ गई थी। एक अनुमान के अनुसार सवा लाख लोग पहुंच गए थे। इसी दौरान लोग भीड़ के कारण परेशान होने लगे। भीड़ और गर्मी के कारण लोग बेहोश होने लगे तो भगदड़ मच गई। इसमें लोग जमीन पर गिरे तो उन्हें कुचलते हुए अन्य लोग निकलने लगे। सूचना पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने सैकड़ों गंभीर लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में हादसे पर दुख जताया है।

'नेहरु ने पूरा जोर लगाकर अंबेडकर को चुनाव हरवाया था'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास ऐसी दलित विरोधी घटनाओं से अटा पड़ा है

नई दिल्ली, 2 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दलित और पिछड़ा विरोधी है। उसका इतिहास ऐसी दलित विरोधी घटनाओं से अटा पड़ा है। प्रधानमंत्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की कैबिनेट से तत्कालीन कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस्तीफे की चर्चा करते हुए कहा कि अंबेडकर ने दलितों की उपेक्षा की वजह से उनकी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।

- मोदी ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की कैबिनेट से, तत्कालीन कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस्तीफे की चर्चा करते हुए कहा कि, अंबेडकर ने दलितों की उपेक्षा की वजह से उनकी कैबिनेट से इस्तीफा दिया था

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "बाबासाहब ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा देते समय जो कारण बताए थे, वह इनकी मानसिकता को दर्शाते हैं। बाबासाहब ने कहा था कि अनुसूचित जातियों की उपेक्षा के कारण अपने आक्रोश को रोक नहीं सका। नेहरूजी ने बाबासाहब का राजनीतिक जीवन खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। पहले षड़यंत्र पूर्वक चुनाव में हरवाया गया। इतना ही नहीं, इस पराजय का जश्न मनाया गया।"

पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि पंडित नेहरू ने पूरा जोर लगा दिया था कि अंबेडकर चुनाव नहीं जीत सकें। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू की दलित विरोधी मानसिकता की वजह से ही अंबेडकर ने उनके मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। पीएम इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने नेहरू के बाद लंबे समय तक सत्ता में रहीं उनकी बेटी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर भी हमला बोला और कहा कि इंदिरा गांधी भी दलित विरोधी थीं।

पीएम मोदी ने कहा कि आपातकाल के समय बिहार के बड़े दलित नेता जगजीवन राम के पीएम बनने की संभावना थी लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें किसी भी कीमत पर पीएम नहीं बनने देने का संकल्प लिया था। पीएम ने कहा, "इमरजेंसी के बाद जगजीवन राम के पीएम बनने की संभावना थी। इंदिरा गांधी ने ये पक्का किया कि जगजीवन राम किसी भी कीमत पर पीएम न बन पाएं।

एक किताब में लिखा है कि अगर जगजीवन राम पीएम बन गए तो वे हटेंगे नहीं।" उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह के साथ भी यही व्यवहार किया था। पीएम ने कहा कि बिहार के ही पिछड़े समुदाय के नेता रहे सीताराम केसरी के साथ भी कांग्रेस ने अपमानजनक व्यवहार किया था, जबकि केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी रही है। उसनें मंडल कमीशन की रिपोर्ट लंबे समय तक दबा रखी थी लेकिन वीपी सिंह की सरकार ने उसे लागू किया।

ए.सी.बी. ने हाई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एसीबी की रिपोर्ट में अदालत को बताया गया कि उन्होंने प्रारंभिक जांच में हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर व उनके पति सहित अन्य के खिलाफ जुर्म प्रमाणित मान लिया है। वहीं मेयर मुनेश के खिलाफ अभियोजन मंजूरी की फाइल प्रमुख यूडीएच सचिव के पास भेज रखी है, लेकिन वहां से अभी तक अभियोजन की मंजूरी नहीं मिली है। इस संबंध में आगामी दिनों में मीटिंग भी होने वाली है।

याचिका में अधिवक्ता अनुराग शर्मा ने कहा कि रिश्वत मामले में एसीबी ने मेयर के पति व मेयर सहित अन्य के खिलाफ जांच पूरी कर उसे दोषी माना है। एसीबी ने मुनेश के खिलाफ अभियोजन मंजूरी की फाइल राज्य सरकार के पास भेज रखी है। लेकिन राज्य सरकार के पास अभियोजन की यह फाइल पेंडिंग चल रही है। इसलिए राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह अभियोजन मंजूरी से जुड़े मामले को जल्द निस्तारित करे, ताकि एसीबी अपना अंतिम नतीजा संबंधित कोर्ट में पेश कर सके। ज्ञातव्य है कि हेरिटेज मेयर के पति सुशील गुर्जर की ओर से नगर निगम के पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत मांगने से जुड़े मामले में एसीबी की कार्रवाई के बाद राज्य सरकार ने मुनेश को निलंबित कर दिया था। इस निलंबन आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने निलंबन आदेश वापस ले लिया था। बाद में राज्य सरकार ने जांच के बाद मुनेश गुर्जर को 22 सितंबर के आदेश से दुबारा निलंबिन कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 के आदेश से मुनेश का निलंबन रद्द कर दिया था।

दो हजार के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नोट चलन में रह गए थे। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2000 रुपये के बैंकनोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

केंद्रीय बैंक ने दिनांक पिछले वर्ष 19 मई को 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंकनोट चलन से वापस लेने की घोषणा की घोषणा की थी और लोगों ने नोट बैंकों और रिजर्व बैंक की शाखाओं में नियमानुसार वापस जमा करने या बदलवाने का अवसर दिया है।

2000 रुपये के बैंकनोटों को जमा करने और/ या बदलने की सुविधा 7 अक्तूबर 2023 तक देश की सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी।

गत नौ अक्टूबर 2023 से, भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालय, व्यक्तियों/ संस्थाओं से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए भी 2000 रुपये के बैंकनोट स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा, जन सामान्य अपने बैंक खातों में जमा करने हेतु देश के किसी भी डाकघर से भारतीय डाक के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी भी निर्गम कार्यालय को 2000 रुपये के बैंक नोट भेज रहे हैं।

'वर्ल्ड बैंक की कुल "पेडअप" रकम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सभी समृद्ध उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं सहित सभी विकसित देशों में ऐसी विशालकाय धन सम्पदा बढ़ती जा रही है। स्टॉक मार्केट जैसे-जैसे बढ़ रहे हैं, अति धनाढ्य लोग बिना कोई मेहनत किए और ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं।

विचार कीजिए! भारत में क्या हो रहा है। स्टॉक मार्केट्स की चाल ऐसी है जैसे कि तेजी का कोई अंत ही ना हो। वे ऊपर और ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, और तेजड़िए अपनी पूरी लय में हैं, जिसका मतलब है कि भारत के अति धनाढ्य और अधिक धनाढ्य होते जा रहे हैं।

एक उदाहरण लीजिए। इन्फोसिस के संस्थापक एवं प्रधान नीति निर्माता एन.आर. नारायणमूर्ति ने अपने नवजात नाती को 293 मिलीयन डॉलर के स्टॉक गिफ्ट किए। यह छोटा बच्चा घुटनों के बल चलने से पहले ही बेहद अमीर है। लेकिन इस राशि पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यह बच्चा अपने शेयर्स को बेचने की जल्दबाजी में नहीं है।

अम्बानी और अडानी दिनों दिन अमीर होते जा रहे है। उन्हें अपनी धन-सम्पदा पर गर्व है जो पूरी दुनिया में उनके समकक्षों को भी हतप्रभ कर रही है। अंबानी परिवार के पुत्र की शादी से पूर्व आलीशान पार्टियां आयोजित की गईं, जिसमें बिल गेट्स और बैजोस तक उपस्थित थे। अनंत अंबानी ने 66 करोड़ रुपये मूल्य की घड़ी पहन रखी थी, जिसने अमेरिका के एक सबसे अमीर आदमी का ध्यान आकृष्ट किया।

तथापि इनमें से कोई भी परिवार ऐसी चकाचौंध करने वाली सम्पत्ति पर कोई टैक्स नहीं दे रहा है। ये लोग बिना टैक्स दिए ही समृद्ध बनते जा रहे है, जबकि सामान्य आदमी अपना पेट काटकर टैक्स चुका रहा है।

एक बार फिर से विचार कीजिए सरकार इस बात की डींग हांक रही है कि उसे माह दर माह जी.एस.टी. का विशालकाय कलैक्शन प्राप्त हो रहा है। केन्द्र सरकार वित्तीय घाटा आरामदायक स्थिति में रख सकती थी। राज्य सरकारें जी.एस.टी. में अपना हिस्सा वसूल रही हैं, लेकिन जी.एस.टी. दे कौन रहा है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपनी प्रत्येक खरीदारी पर जी.एस.टी. का भुगतान कर रहा है।

मामूली से बिस्कीट पर भी टैक्स लगता है। टैंट वाला किसी निर्धन व्यक्ति के घर हो रही शादी में लगाए गए झीने से शामियाने के लिए भी सर्विस टैक्स वसूल रहा है और यदि आप अपने पुत्र या पुत्री के अच्छे रिजल्ट की खुशी मनाने के लिए किसी रेस्त्रां में जाते हैं तो बिल चुकाते ही केन्द्र और राज्य सरकार भी उसमें एक गैर आमंत्रित अतिथि बन जाती है।

अति धनाढ्य लोगों के टैक्स के मुद्दे ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा अरबपतियों पर टैक्स लगाने की बात किए जाने के बाद "द इकोनॉमिस्ट" ने इस वित्तीय पहेली का मुद्दा उठाया। बाइडन सामाजिक योजनाओं के लिए धन उगाहने की बात कह रहे थे।

द इकोनॉमिस्ट ने कुछ खबरों का हवाला दिया है, जिनसे संकेत मिलता हैं कि सुपर रिच लोगों के पास स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से पूंजी की ऐसी बढ़त है, जिसे अनुभव नहीं किया जा सका, जिसका मूल्य 6 से 11 ट्रिलीयन डॉलर तक है। आज की तारीख में दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान कम्पनी "एनविडिया" के मालिक की सम्पत्ति में ऑर्टिफिशल इन्टैलीजैंस (ए.आई.) का क्रेज बढ़ने के साथ ही 100 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। एनविडिया निर्मित चिप्स ए.आई. ऑपरेशन्स का एक अहम हिस्सा होती हैं।

टैक्स के कानूनों में वर्णित है कि शेयर मूल्यों में आई वृद्धि को जब तक प्रदत्त आय में ना बदला जाए, उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता।

लेकिन इस प्रकार के टैक्स पर कोई गंभीर बहस छिड़वाने के उद्देश्य से हमें पहले इसका विरोध करना होगा। स्टॉक बाजार में मूल्यवृद्धि होती है, लेकिन मूल्यों में तेजी से गिरावट भी हो सकती है।

राज्यपाल ने मु.मंत्री ममता...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजभवन की असामान्य घटनाओं से संबंधित खबरों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक चुनाव प्रचार मीटिंग के दौरान राजभवन जाने को लेकर टिप्पणियां की थीं। उन टिप्पणियों से पूरे राज्य में हैरानी के साथ-साथ अफवाहों का बाज़ार गर्म हो गया था।

उसके बाद, संदेशखाली प्रकरण का विरोध करन वाले एक प्रमुख पैरोकार ने ममता बनर्जी विरोधी टिप्पणी करते हुए कहा था कि "ममता बनर्जी जैसी एक बुजुर्ग महिला को यदि राजभवन में अस्मिता खोने का डर है तो आप उन जवान महिलाओं की प्रतिष्ठा के बारे में क्या कहेंगे जिनका संदेशखाली में यौन शोषण किया गया।

राज्यपाल द्वारा आज उठाए गए कदम के बारे में पूछने पर तृणमूल के कुणाल घोष ने अपेक्षाकृत एक मेल-मिलाप वाले अंदाज में कहा कि बेहतर होता यदि राज्यपाल मुख्यमंत्री के विरूद्ध मानहानि का केस दायर करने से परहेज करते। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने तो प्राप्त खबरों के आधार पर ही टिप्पणियां की थीं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री राज्य की पुलिस मंत्री भी है, इस नाते राज्य पुलिस को प्राप्त विभिन्न खबरों से उन्हें भी अवगत करवाया जाता है। उन्होंने पुलिस द्वारा दिए गए तथ्यों के आधार पर ही राज्यपाल और राजभवन के बारे में टिप्पणियां की थीं।

तृणमूल कांग्रेस के बहुत से नेताओं ने भी प्रदेश के राज्यपाल के बारे में आरोप लगाये थे। ममता बनर्जी ने राज्यपाल के विषय में उन रिपोर्टों को भी सार्वजनिक करने की धमकी दी थी, जो उन्होंने सुनी हैं तथा दिल्ली से प्राप्त हुई हैं।

यह धमकी राज्यपाल के मन में इस बात को बिठाने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है कि उनके बारे में कुछ अज्ञात तथ्य उजागर कर दिये जायेंगे।

इस प्रकार, राज्यपाल को एक तरह से उकसाया गया कि वे मानहानि का मुकदमा दायर करें क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी सहित, पूरी पार्टी उनके खिलाफ बार-बार आरोप लगा रही है।

अभी यह अनिश्चित है कि इन कार्यवाहियों का अंतिम परिणाम क्या होगा।

लेकिन यह जरूर है कि राज्य की मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल के बीच के संबंधों में इस प्रकार का मोड़, बंगाल तो क्या, देश के किसी भी राज्य में, कभी नहीं देखा गया है।

6 आई.ए.एस....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि रोहित गुप्ता को उद्योग वाणिज्य एवं कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी एवं आयुक्त निवेश संवर्धन ब्यूरो में आयुक्त लगाया है। आई.ए.एस. अधिकारी प्रकाश चंद्र शर्मा को मुख्यमंत्री का विशेष अधिकारी और हिमांशु गुप्ता को ग्रामीण अकृषि क्षेत्र विकास अभिकरण में प्रबंध निदेशक के पद पर लगाया गया है।

'राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600